

भाग-2
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव का राज्य क्रमांक सं० FP/UP/ROAD/30003/2017

7	परियोजना /स्कीम का स्थान	महाराजगंज जिले में टीआई डीसीयू एन.एच. पी०डब्लू०डी० गोरखपुर द्वारा सोनौली-गोरखपुर रोड पर 33.00 से 35.500 के मध्य प्रस्तावित बाईपास निर्माण के अन्तर्गत फरेन्दा-मोहनापुर वन मार्ग पर बी०यू०पी० निर्माण में 0.04876 हे० अवर्गीकृत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।
(क)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(ख)	जिला	महाराजगंज
(ग)	वन प्रभाग	गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर
(घ)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र हेक्टेयर में	0.04876 हे०
(ङ)	वन की कानूनी स्थिति	अवर्गीकृत वन भूमि
(च)	हरियाली का घनत्व	0.4
(छ)	प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना संलग्न की जाय।	परियोजना कोई वृक्ष बाधक नहीं
(ज)	भू-क्षरण के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	नहीं है।
(झ)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमोदित दूरी	5.00 किमी०
(त)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व, हाथीकोरीडोर आदि का भाग है ? (यदि हाँ क्षेत्र का ब्यौरा प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणीयों अनुबन्धित की जाये)	नहीं है।
(थ)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणि जाति को दुर्लभ /सकटापन एवं विशिष्ट प्रजाति पाई जाती है यदि हाँ/तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं है।
(द)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल /रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा समक्ष प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं है।
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं तो मांगे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है ?	परियोजना के लिये अवर्गीकृत वन भूमि अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है ? हाँ /नहीं हाँ तो कार्य का ब्यौरा दें। क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी चल रहे है ?	टी.आई. डी.सी.यू. एन.एच. पी०डब्लू०डी० गोरखपुर द्वारा सोनौली-गोरखपुर रोड पर 33.00 से 35.500 किमी० के मध्य बाईपास निर्माण के अन्तर्गत बी०यू०पी० हेतु कार्य प्रारम्भ किये जाने पर फरेन्दा रेंज के अन्तर्गत रेंज केस संख्या 13/17-18 दिनांक 30.04.2017 जारी किया गया है।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	संलग्न है।

(क)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र आस-पास के वन या उसकी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार	संलग्न है।
(ख)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए सभी निर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवक्रमित वनीकरण के लिए निर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मानचित्र	संलग्न है।
(ग)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी समय अनुसूचित ढांचा आदि	संलग्न है।
(घ)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	रु0 30,300.00
(ङ)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभी निर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्ध की दृष्टिगत से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र सम्बन्धित उपवन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाये।	संलग्न है।
11	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषता उपयुक्त कालम नं0-7 (11, 12) 8, 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए संलग्न करें।	संलग्न है।
12	विभाग / जिला प्रोफाइल	गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर
क	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	2951.00 वर्ग किमी0
ख	जिले का वन क्षेत्र	9563.60 हेक्टेयर
ग	मामलों की संख्या 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लगाया गया कुल वन क्षेत्र	145.08 हे0 20 प्रस्तावों के सापेक्ष
घ	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	8.26 हेक्टेयर वन भूमि पर 9086 पौध का रोपण किया गया है तथा गैर वन भूमि पर मार्गों के किनारे 57332 पौधों का रोपण 110.15 हे0 में किया गया है।
(i)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वन भूमि वनीकरण वन भूमि पर	8.26 हेक्टेयर वन भूमि पर 9086 पौध का रोपण किया गया है।
(ii)	वनेत्तर भूमि पर	गैर वन भूमि पर मार्गों के किनारे 57332 पौध का रोपण 110.15 हे0 में किया गया है।
ङ	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	8.26 हेक्टेयर वन भूमि पर 9086 पौध का रोपण किया गया है तथा गैर वन भूमि पर मार्गों के किनारे 57332 पौधों का रोपण 110.15 हे0 में किया गया है।
(i)	वन भूमि पर	8.26 हेक्टेयर वन भूमि पर 9086 पौध का रोपण किया गया है।
(ii)	वनेत्तर भूमि पर	गैर वन भूमि पर मार्गों के किनारे 57332 पौध का रोपण 110.15 हे0 में किया गया है।
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव की अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उपवन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्ताव स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

(एन0क0 जानू)
प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर

दिनांक 28.12.2017
स्थान गोरखपुर।